

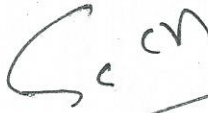
परियोजनाका नाम :- जनपद हरिद्वार में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता -नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320कि०मी०

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.603 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून


तहसीलदार
हरिद्वार


ह० प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार


SDM
HARDWAR


ह०/-
जिलाधिकारी
हरिद्वार

नोट :- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

